इदरिश खान व अन्य बनाम् राजस्थान राज्य वगैरा।
(एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या- 4766/1999)

01.11.2006

माननीय न्यायाधिपति श्री शिव कुमार शर्मा

श्री राजेन्द्र प्रसाद, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थीगण।
प्रतिपक्षीगण/राज्य सरकार की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

प्रार्थीगण, जो कि प्रलेख लेखक (Deed Writer) हैं, ने इस रिट याचिका में महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर के निर्णय दिनांक-7.8.1999 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा प्रार्थीगण की अपील अन्तर्गत धारा- 69 (3), भारतीय पंजीयन अधिनियम,1908 निरस्त की है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण का तर्क है कि महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर के समक्ष प्रार्थीगण द्वारा यह निवेदन किया गया था कि शिकायतकर्ता मुस्मात सायरा ने उनके विरूद्व झूठी शिकायत की थी और फौजू, जिसके पक्ष में मुस्मात सायरा द्वारा विक्रय पत्र लेखबद्व किया गया था,को मुस्मात सायरा ने जिलाधीश के समक्ष सही मानते हुए प्रतिफल प्राप्त करना स्वीकार किया है, ऐसी स्थिति में कथित फर्जी बताये जा रहे विक्रय पत्र के सम्बन्ध में प्रार्थीगण का प्रलेख लेखन अनुज्ञा पत्र (Deed Writer License) निरस्त नहीं किया जा सकता था।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना गया तथा अभिलेख को परीक्षित किया गया।

प्रार्थीगण की ओर से जो तर्क महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान,

अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किए गये थे उनका विवेचन महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर ने अपने आक्षेपित निर्णय में नहीं किया है। निर्विवाद रूप से प्रार्थीगण का अनुज्ञा पत्र राजस्थान अनुज्ञा पत्र और प्रेलख लेखन नियम,1956 की धारा-11 के प्रावधानों का उल्लंघन होने के आधार पर निरस्त किया गया था, ऐसी स्थिति में जबकि शिकायतकर्ता ने फर्जी बताये जा रहे विक्रय पत्र को सही मानते हुए राजीनामा प्रस्तुत कर दिया था, महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर का यह कर्तव्य था कि वे उक्त तर्क का विवेचन अपने आक्षेपित निर्णय में करते। चूंकि आक्षेपित निर्णय दिनांक 7.8.1999 में महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर ने प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत किए गये तर्कों का समावेश नहीं किया है, अत: प्रार्थीगण की अपील की पुन: गुणावगुण पर सुनवाई होना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामत: यह रिट याचिका स्वीकार की जाती है।महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक- 7.8.1999 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर को प्रति-प्रेषित किया जाता है कि वे प्रार्थीगण की ओर से उनके समक्ष प्रस्तुत किए गये तर्कों को विवेचित करते हुए तथा शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गये राजीनामे का प्रकरण पर क्या असर होगा ? पर विचार करते हुए नये सिरे से आदेश पारित करेगें। प्रार्थीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर के समक्ष दिनांक- 27.11.2006 को उपस्थित होगें।

(न्या. शिव कुमार शर्मा)

एमसीएस